न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

नि – 218 – II-16

1– कल्लोबाई पुत्री दुर्गा काछी ,

सकिन बोरी कलॉ, तहसील हटा, जिला दमोह म0 प्र0

2– [illegible]

[illegible]

2– खुमान पिता भगौना काछी, 3– धनीराम पिजा खुमान काछी

4– हरिबाई पिता खुमान काछी, 5–खिलान पिता खुमान काछी,

निबासी ग्राम सतरिया , तहसील पटेरा जिला दमोह म0 प्र0

...........आवेदकगण

वनाम

1– ललती बाई पिता आशाराम काछी ,

ग्रम बोरी कलॉ, तहसील हटा, जिला दमोह, म0 प्र0

2– झुत्ता बाई पिता आशाराम काछी , पति सुंदर काछी,

ग्रम हिनमत पटी, तहसील हटा, जिला दमोह, म0 प्र0

3– नंदिनी उर्फ नन्नी पिता आशाराम काछी ,पति टीकाराम काछी

निबासी ग्राम सकौर, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

4- लक्ष्मीरानी पत्नि आशाराम काछी

सा- कुंडलपुर, जिला दमोह .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 01/अ–6 बर्ष 2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28/12/2015 से परिवेदित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-218-दो/2016 जिला दमोह कल्लोबाई विरूद्ध ललताबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका कल्लोबाई की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदिका की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 1/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28-12-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18
(आर.के. जैन)
सदस्य